सुरक्षित बचपन

प्रत्येक बच्चे का अधिकार

सुरक्षित बचपन

प्रत्येक बच्चे का अधिकार

(लैंगिक दुर्व्यवहार से बच्चों की सुरक्षा)

परिकल्पना

राजेश यादव, IAS (Rtd.)
सीनियर फैलो, बाल संदर्भ केन्द्र,
हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान,
जयपुर।

मार्गदर्शन एवं संपादन

श्री गोविन्द बेनीवाल,
निदेशक, अन्ताक्षरी फाउण्डेशन एवं
पूर्व सदस्य,
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
जयपुर।

लेखन

श्री राजकुमार पालीवाल,
श्री मांगीलाल शेखर,
बाल संरक्षण विशेषज्ञ,
अन्ताक्षरी फाउण्डेशन, जयपुर।

प्रकाशन

बाल संदर्भ केन्द्र,
ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान एवं
अन्ताक्षरी फाउण्डेशन, जयपुर।

सहयोग

यूनिसेफ, राजस्थान।

साभार

बॉश इण्डिया फाउण्डेशन, जयपुर।

आवश्यक सूचना

इस पुस्तिका का प्रकाशन बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों, अभिभावकों, बाल संरक्षण घटकों एवं जन साधारण में लैंगिक दुर्व्यवहार के बारे में स्पष्ट समझ विकसित करना है। कृपया इस पुस्तिका में दी गई जानकारी का इस्तेमाल कानूनी दस्तावेज के रूप में ना करें।

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	4–5
2.	बच्चा कौन हैं	6
3.	बाल लैंगिक दुर्व्यवहार क्या हैं	6
4.	बाल लैंगिक दुर्व्यवहार कौन–कौन करते हैं	6–7
5.	बाल लैंगिक दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों का बच्चों के प्रति नजरिया	7
6.	बच्चों को विश्वास में लेने की अवधारणा	7–8
7.	बच्चों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार की संभावित परिस्थितियां	9
8.	पीड़ित बच्चों के व्यवहारिक / शारीरिक संकेत	10
9.	बाल लैंगिक दुर्व्यवहार को लेकर कुछ भ्रान्तियां / मिथक	10–11
10.	बच्चों द्वारा लैंगिक दुर्व्यवहार के बारे ना बताने के कारण	12
11.	बच्चों पर लैंगिक दुर्व्यवहार के दुष्प्रभाव	12
12.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	13–18
13.	बाल संरक्षण हेतु कार्यरत तंत्र	18–21
14.	बच्चे लैंगिक दुर्व्यवहार से बचाव कैसे करें	22
15.	बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम कैसे करें	22–24
16.	बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम में विभिन्न विभागों की भूमिका	25–33

प्रस्तावना

राज्य की लगभग 41 प्रतिशत जनसंख्या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की है। पिछले कुछ वर्षो में बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की शारीरिक, लैंगिक, मानसिक, भावनात्मक दुर्व्यवहार एवं उनकी उपेक्षा के मामलों में संख्या वृद्धि हुई है। बच्चों के साथ होने वाली लैंगिक दुर्व्यवहार में 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ गम्भीर लैंगिक दुर्व्यवहार की घटनाएं अधिक सामने आई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में बाल दुर्व्यवहार पर कराये गये अध्ययन के आंकडों के अनुसार देश में प्रत्येक 3 बच्चों में से 2 बच्चे शारीरिक दुर्व्यवहार का शिकार होते है तथा देश में लगभग 53.2% बच्चे लैंगिक दुर्व्यवहार के शिकार है। उक्त अध्ययन के अनुसार विद्यालय में 49.9% बाल दुर्व्यवहार (बलात्कार, छेड़खानी, जबरन चूमना/पीछा करना इत्यादि) का शिकार होते है। वहीं दूसरी तरफ कारखानों, दुकानों एवं अन्य स्थानों पर कार्य करने वाले 61.6% बच्चे, सड़क पर रहने वाले 54.5% बच्चे तथा विभिन्न संस्थाओं में रहने वाले 47% बच्चे लैंगिक दुर्व्यवहार का शिकार होते है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2016 की रिपोर्ट के अनुसार देश में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत् कुल 36022 प्रकरण दर्ज हुए है तथा राजस्थान विधानसभा के एक प्रश्न के उत्तर में गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रेषित आंकड़ों के अनुसार राज्य में वर्ष 2015 में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत् कुल 1954 तथा वर्ष 2016 में कुल 2024 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इस एक वर्ष में लैंगिक दुर्व्यवहार में प्रकरणों में हुई वृद्धि एक गंभीर चिंता का विषय हैं।

उक्त आंकडे केवल पुलिस में दर्ज प्रकरणों के है, उक्त के अतिरिक्त बडी संख्या में ऐसे मामले, जो सामाजिक बदनामी, दबाव एवं उपेक्षा के कारण पुलिस में दर्ज नहीं हो पाते है, जिनमें किसी नजदीकी रिश्तेदार या बच्चों की पहचान वाले व्यक्तियों द्वारा बच्चों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार किये जाने के मामले सम्मिलित हैं। इस प्रकार की सामाजिक मानसिकता भी अप्रत्यक्ष रूप से बाल लैंगिक दुर्व्यवहार को बढावा देती है। समाज में एक भ्रम है यह भी कि लैंगिक दुर्व्यवहार केवल बालिकाओं के साथ ही होता है, जबकि विभिन्न अध्ययन/रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि बालिकाओं की अपेक्षा बालकों के साथ अधिक लैंगिक दुर्व्यवहार होता है।

राज्य सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी प्रयास किये गये है। राज्य द्वारा बच्चों के संरक्षण एवं देखरेख सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कानूनों {किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 तथा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिबंध एवं नियोजन) अधिनियम, 1986 इत्यादि} एवं योजनाओं (समेकित बाल संरक्षण योजना, पालनहार योजना इत्यादि) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाल विवाह से प्रभावित बालिकाओं के जीवन पर पड़ने वाले गम्भीर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए याचिका संख्या 382/2013 में दिनांक 11.10.2017 को पारित आदेश में नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने को बलात्कार माना है।

बच्चों की सुरक्षा एवं उनके मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति तथा बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए चाइल्ड राइटस् क्लब गठन किया गया हैं। बाल देखरेख संस्थानों में भी बाल समितियों का गठन एवं सुझाव/शिकायत पेटिका लगाकर बाल सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि बच्चे अपनी सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को उठा सकें।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के व्यापक प्रचार–प्रसार के अभाव के कारण अधिनियम के लागू होने के लगभग 5 वर्ष बाद भी बच्चों के साथ हो रहे लैंगिक दुर्व्यवहार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं स्थानीय हितधारकों में बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान एवं विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि राज्य में बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक दुर्व्यवहार से उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

1. बच्चा कौन हैं ?

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2 (1) (घ) के अनुसार बच्चे से अभिप्रेत 18 वर्ष के कम उम्र कोई बालक / बालिका हैं।

2. बाल लैंगिक दुर्व्यवहार क्या हैं ?

18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक अथवा बालिका के साथ किसी व्यक्ति द्वारा लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया कोई व्यवहार बाल लैंगिक दुर्व्यवहार कहलाता है। निम्न को बाल लैंगिक दुर्व्यवहार में सम्मिलित किया गया हैं–

- बच्चों के निजी अंगों का छूना या छेडछाड करना या अपने निजी अंगों को बच्चों से छुआना। (निजी अंग शरीर के वे अंग है जो अंदर के कपड़ों से ढके रहते हैं एवं जिन्हें हम सामान्यतः दूसरों को दिखाते नहीं है)
- बच्चे के निजी अंगों में शरीर का कोई अंग या वस्तु प्रवेशित करना।
- बच्चे को अश्लील फोटो व विडियो दिखाना एवं अश्लील बातें करना।
- बच्चे की तरफ अश्लील इशारे करना, अश्लील व अपशब्द बोलना।
- बच्चे की अश्लील अवस्था में फोटो खींचना एवं विडियो बनाना।
- बच्चों का बार–बार या निरंन्तर पीछा करना, भद्दे कमेन्ट्स करना।
- अश्लील प्रयोजन के लिए बच्चों को प्रलोभन देना या तस्करी करना।
- ट्रेफिकिंग करना।

महत्वपूर्ण बिन्दुः–

☞ लैंगिक दुर्व्यवहार बालक–बालिका दोनो के साथ होता है, तथा दुर्व्यवहारकर्त्ता कोई पुरूष या महिला हो सकती है।

☞ लैंगिक दुर्व्यव्यवहार में बच्चे की सहमति महत्वहीन हैं तथा बच्चे की सहमति से लैंगिक दुर्व्यवहार करना भी कानूनी अपराध है।

3. बाल लैंगिक दुर्व्यवहार कौन–कौन करते हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के साथ 50 प्रतिशत से अधिक लैंगिक दुर्व्यवहार करने वाले ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें पीड़ित बच्चा व्यक्तिगत रूप जानता हैं। विगत समय में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार निम्न स्थान पर / व्यक्तियों द्वारा बच्चों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार करने के प्रकरण सामने आये हैंः–

- परिवार में (पिता, चाचा, दादा, मामा इत्यादि...)
- शिक्षण संस्थानों / संस्थाओं में बच्चों की देखरेख हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों जैसे – अध्यापक, बाल गृह एवं छात्रावास के कर्मचारी, गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी, इत्यादि।
- रिश्तेदार / मित्र / कोई भी विश्वसनीय व्यक्ति।

- पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति।
- किरायेदार या मकान मालिक।
- बड़े बच्चे द्वारा छोटे बच्चे के साथ।
- अनजान व्यक्ति।
- महिलाओं द्वारा भी बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार किया जा सकता है।

4. बाल लैंगिक दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों का बच्चों के प्रति नजरिया

बच्चों के साथ लैंगिक हिंसा या दुर्व्यवहार करने वाले अधिकांश व्यक्ति मानते है कि–

- बच्चा दूसरों को नहीं बतायेगें।
- बच्चा यह बात कह नहीं पायेगा, शर्म या लज्जा महसूस करेगा।
- बच्चा आसानी से बहकावे में आ जायेगा।
- बच्चे को वह आसानी से डराकर कर भी चुप कर सकता है।
- बच्चे की बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा।
- बच्चे को लालच देकर चुप किया जा सकता हैं।
- बच्चे के पास ऐसी बात कहने के लिए शब्द ही नहीं होगें।
- बच्चा यह समझ ही नहीं पायेगा कि उसके साथ जो हुआ है वो सही है या गलत।
- बच्चे नासमझ होने के कारण उनके साथ हुए लैंगिक दुर्व्यवहार को समझ ही नहीं पायेगें।

5. बच्चों को विश्वास में लेने की अवधारणा

बच्चों को विश्वास में लेना या सहेजना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति बच्चे एवं उसके परिवार या उसके नजदीकी लोगों को अपने विश्वास में लेता है, ताकि वह आसानी से बच्चे तक अपनी पहुँच बना सकें। फिर भी ऐसा नही होने पर कुछ दुर्व्यवहारकर्त्ता डरा धमकाकर या बल प्रयोग करते हुए बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते है, ऐसे व्यक्ति बच्चों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार को स्वयं के आनन्द की अनुभूति एवं मनोरंजन का हिस्सा मानते है। दुव्यवहार करने वाले व्यक्ति के लिए बच्चों को विश्वास में लेकर उसके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार करना इसलिए भी आसान होता हैं, क्योंकि –

- बच्चे द्वारा इसका खुलासा करने की संम्भावना नहीं होती है या कम होती हैं।
- बच्चे एवं परिवार के सदस्य भी उन पर विश्वास करने लगते हैं।
- बच्चें के साथ अकेले में रहने पर किसी को आपत्ति नहीं होती हैं।
- बच्चे एवं उसके नजदीकी व्यक्तियों की दुर्व्यवहारकर्ता के प्रति शुभचिन्तक की अवधारणा होती हैं।
- बच्चे डर के कारण दुर्व्यवहारकर्त्ता का विरोध नहीं करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दुर्व्यवहारकर्ता बच्चों के साथ बार–बार दुर्व्यवहार करते हैं।

बच्चों को विश्वास में लेने की प्रक्रिया

- आम तौर पर यह प्रक्रिया सूक्ष्म व्यवहार से शुरू होती है तथा इस प्रक्रिया के तहत् दुर्व्यवहारकर्त्ता बच्चे को विभिन्न माध्यमों जैसे टॉफी देना, बच्चों पर बहुत अधिक ध्यान देना या बहुत प्यार करना, से अत्यधिक अपनापन महसूस कराता हैं।
- बच्चा इससे अनभिज्ञ होता हैं, कि ऐसा व्यक्ति उसके साथ ये सब क्यों कर रहा हैं तथा ऐसे व्यक्ति पर अटूट विश्वास करने लगता हैं।
- अधिकांश दुर्व्यवहारकर्त्ता, बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित कर लेते है कि हम दोनो की बातें गोपनीय या राज की बातें है, किसी को बताना नहीं है।
- विश्वास में लिए गए अधिकांश पीड़ित बच्चे लैंगिक शोषण के बारे में समझ नहीं पाते है, कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, बच्चों को पता भी नहीं होता कि यह दुर्व्यवहार का हिस्सा है।
- दुर्व्यवहारकर्त्ता बच्चों को छूने के लिए अनेक तरीकों से शुरूआत करते है, जो बच्चों के लिए अस्पष्ट एवं भ्रमित करने वाले होते है, जैसे धक्का लगाना, गले लगाना या वे खेल–खेल में छूना है या फिर गलत हरकत को आकस्मिक घटना बता कर शुरूआत करते है।
- दुर्व्यवहारकर्त्ता आमतौर पर बच्चे को स्नान कराते समय, कपड़े पहनाते समय, सोते समय या खेलते समय तथा नियमित कार्यो के दौरान छूते हैं, ताकि बच्चा प्यार एवं दुर्व्यवहार को समझने में भ्रमित रहे।
- दुर्व्यवहारकर्त्ता बच्चे की अभिभावकों से दूरी बनाने हेतु बच्चे को ऐसा अहसास कराता है कि हम दोनों (बच्चा व दुर्व्यवहारकर्त्ता) बहुत घनिष्ठ मित्र है तथा अभिभावक हमारी दोस्ती से खुश नहीं है।
- दुर्व्यवहारकर्त्ता अपने पद तथा बच्चों के नजरों मे अपनी आदरणीयता एवं सम्मान का लाभ उठाकर बच्चे पर अपना हक जताते हुए भी उसके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार करने का प्रयास करते है।
- विश्वास में लेने का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चा लैंगिक दुर्व्यवहार का विरोध ना करें तथा उस पर विश्वास करे एवं सभी बातों को गोपनीय रखे।

6. बच्चों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार की संभावित परिस्थितियां

बच्चे के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार कभी भी तथा किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन निम्न विशेष परिस्थितियों में बच्चों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार होने की संभावना अधिक रहती हैं–

- ऐसे बच्चे, जो अपने माता–पिता के साथ फुटपाथ पर रहते है।
- ऐसे बच्चे, जो फुटपाथ पर रहते हैं या जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं हैं।
- ऐसे बच्चे जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है।
- ऐसे बच्चे, जिनकों पता नहीं हैं, कि किस प्रकार छूना या व्यवहार सही हैं।
- ऐसे बच्चे, जिन पर कोई ध्यान नही देता है या किसी वजह से देखभाल नहीं कर पाते है।
- ऐसे बच्चे, जो दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते है।
- ऐसे बच्चे, जो जल्दी डर जाते हैं।
- ऐसे बच्चे, जिनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है।

- ऐसे बच्चे, जो अपने आप में सिमटे रहते है तथा चुप–चाप रहते है।
- ऐसे बच्चे, जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं।
- ऐसे बच्चे, जो किसी अभिरक्षा में रहते है।
- ऐसे बच्चे, जिनके अभिभावक नशा अधिक करते है।
- ऐसे बच्चे, जो कहीं भी अकेले आते–जाते है।
- परिवार में तनाव की स्थिति हैं।
- परिवार के अनैतिक कार्यो में संलिप्त होने की स्थिति में।
- शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चे।
- बाल विवाह से प्रभावित बच्चे।
- बाल श्रमिक।
- बाल तस्करी से पीड़ित बच्चे।
- गैर पंजीकृत बालगृहों/संस्थाओं में आवासरत बच्चे।
- ऐसे बच्चे, जिन्हें देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता हैं।

7. पीड़ित बच्चों के व्यवहारिक/शारीरिक संकेत

विभिन्न अध्ययनों से लैंगिक दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों की पहचान हेतु निम्न संकेतकों को चिन्हित किया गया है, इन संभावित संकेतकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है–

व्यवहारिक संकेतक

- बड़ों के सामने घबराना या शर्माना।
- घर जाने से डरना।
- आत्म विश्वास का कम होना।
- खेल–कूद में हिस्सा नहीं लेना।
- अत्याधिक थकान महसूस करना।
- पढ़ाई का स्तर गिरना, पढाई में ध्यान का कम होना।
- लगातार स्कूल नहीं जाना, स्कूल जाने से कतराना या मना करना।
- गुस्सा करना, अन्य बच्चों पर दादागिरी करना, अपशब्द बोलना।

शारीरिक संकेतक

अपना ध्यान नहीं रखना, जैसे गंदे कपड़े पहनना, ज्यादा कपड़े पहनना, खाना नहीं खाना, जल्द बीमार पड़ना।

- असामान्य शारीरिक चोट लगना।
- यौन संबंधी रोग होना।
- बालिकाओं के परिपेक्ष्य में अनियमित मासिक चक्र या गर्भवती होना।

- नशीले पदार्थो का सेवन करना।
- निजी अंगों में दर्द या जलन की शिकायत रहना।
- चलने या बैठने में परेशानी होना।

8. बाल लैंगिक दुर्व्यवहार को लेकर कुछ भ्रांन्तियां/मिथक

1	बच्चों के साथ ऊंची आवाज में बात करने, उन्हे डांटने, ड़राने, धमकाने एवं मारने–पीटने से बच्चे अनुशासित रहते है।	यह सच्चाई नहीं है। ऐसा करने से बच्चों को मानसिक आघात लगता है जिससे वे भी दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार कर सकते है।
2	बच्चों के साथ आमतौर पर दुर्व्यवहार नहीं होता या पश्चिमी देशों में ही बाल लैंगिक दुर्व्यवहार होती है भारत में बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है।	यह एक भ्रांति हैं। शोध के अनुसार भारत में 50% से अधिक शारीरिक दुर्व्यवहार किया जाता हैं तथा 53.2% बच्चों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार किया जाता है।
3	बच्चे घर में परिवार के सदस्य व रिश्तेदारों के साथ एवं विश्वासपात्र व्यक्तियों के साथ सुरक्षित रहते है। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार केवल अजनबी व्यक्ति ही करते हैं।	ये भ्रान्ति है। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले परिवार, रिश्तेदार या विश्वासपात्र व्यक्तियों की संख्या अधिक हैं। शोध के अनुसार 69.5% दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति, बच्चे को व्यक्तिगत रूप से जानने है।
4	बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार नहीं होता। केवल बालिकाओं के साथ ही ऐसा होता है	यह एक भ्रान्ति है। बालिकाओं की अपेक्षा बालकों के साथ अधिक लैंगिक दुर्व्यवहार होता है। आंकड़ों के अनुसार जहां 47.5% बालिकायें लैंगिक दुर्व्यवहार का शिकार है वहीं 52.5% बालक भी लैंगिक दुर्व्यवहार का शिकार होते
5	बच्चों के साथ पुरूष ही लैंगिक दुर्व्यवहार करते है, महिलाएं नहीं।	यह एक भ्रांति हैं। महिलाओं भी अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार करती है।
6	लैंगिक दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होते है।	दुर्व्यवहार करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जरूरी नहीं कि वह मानसिक बीमार हो।
7	बच्चे अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की जानकारी तुरंत ही अपने अभिभावकों को देते है।	प्रायः यह देखा गया है कि बच्चे अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की जानकारी अपने अभिभावकों या अन्य विश्वासपात्र व्यक्तियों को नहीं बताते। इसलिए बच्चे लम्बे समय तक दुर्व्यवहार का शिकार होते रहते है। अधिकतर बच्चे कई कारणों से बताने में हिचकते है, जैसे वे सोचते है कि इसमें माता–पिता उन्हें ही दोषी मानेगें, बताने के लिए शब्द नहीं होते, डर और दुर्व्यवहारकर्ता द्वारा दी गई धमकी देना प्रमुख कारण होता है।

8	लैंगिक दुर्व्यवहार संबंधी मामलों में सिर्फ बालिकाओं को ही कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है।	यह एक भ्रान्ति है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत बालकों एवं बालिकाओं को समान रूप से संरक्षण प्राप्त है, यह कानून बालकों एवं बालिकाओं दोनो को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।
9	बच्चों का पीछा करना या उन पर छींटाकसी/कमेन्ट करना लैंगिक दुर्व्यवहार नहीं है।	बच्चों का पीछा करना, उन पर छींटाकसी/कमेन्ट करना भी लैंगिक दुर्व्यवहार के अन्तर्गत आता है। पोक्सों कानून में इसे गम्भीर अपराध माना गया है।
10	लैंगिक दुर्व्यवहार हमारे गॉव, समुदाय या विद्यालय में नहीं होता	यह एक भ्रान्ति है। लैंगिक दुर्व्यवहार कहीं भी हो सकता है।

9. बच्चों द्वारा लैंगिक दुर्व्यवहार के बारे ना बताने के कारण

अधिकांश बच्चे अपने साथ हो रहे लैंगिक दुर्व्यवहार के बारे में किसी को नहीं बता पाते है या बताने में हिचकिचाते है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में बाल दुर्व्यवहार पर कराये गये अध्ययन के अनुसार 3.4 प्रतिशत बच्चे ही पुलिस को लैंगिक दुर्व्यवहार के बारे में बताते है। बच्चों के लैंगिक दुर्व्यवहार के बारे नहीं बताने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं–

- बच्चों द्वारा शर्म/लज्जा महसूस करना।
- असामान्य महसूस करना।
- बच्चों के पास शब्दों का अभाव होना।
- दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति बच्चे का परिचित होना।
- दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति द्वारा बच्चों को यह बात गोपनीय रखने के लिए कहना।
- दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति द्वारा बच्चों को ड़राना, धमकाना या प्रलोभन देना।
- सामाजिक दबाव।

10. लैंगिक दुर्व्यवहार के दुष्प्रभाव

बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक दुर्व्यवहार न केवल बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, अपितु बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बचपन पर गम्भीर असर डालते हैं। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बच्चों के जीवन में एक कटु अनुभव के रूप में साथ रहते हैं। लैंगिक दुर्व्यवहार के दुष्प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं –

• अत्यधिक गुस्सा करना। • चिन्ता करना। • डरा हुआ रहना। • किसी भी काम में ध्यान नहीं लगना। • बुरे या ड़रावने सपने आना। • घर से भाग जाना। • आत्मविश्वास कम होना। • दर्दनाक घटना के बाद तनाव का विकार होना। • तनाव में होना या आत्महत्या के विचार आना। • यौन संबंधी चिन्ता या विकार होना।	• शक्तिहीन महसूस करना। • अपराधबोध की भावना होना। • खुशी महसूस नहीं होना। • पढ़ाई के स्तर में कमी होना। • शर्माना या अलग–अलग रहना। • झूठ बोलना, चोरी करना। • दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति का सामने • आने का डर होना। • दुर्व्यवहारकर्ता को ना नहीं बोलने में परेशानी होना। • स्वयं के शरीर के प्रति हीन भावना पैदा होना इत्यादि।

11. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा कठोर कानून के रूप में **''लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012''** लागू किया गया है। यह अधिनियम एवं इसके संगत नियम 14 नवम्बर, 2012 से पूरे देश में प्रभावी है। अधिनियम के तहत् 18 वर्ष से कम उम्र के बालक–बालिकाओं के विरूद्ध होने वाले विभिन्न प्रकार के लैंगिक अपराधों को परिभाषित किया गया हैं। यह कानून लिंग समानता (Gender Neutral) पर आधारित हैं, इसमें बालक/बालिका कोई भी पीडित या दोषी हो सकते है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के मुख्य प्रावधान प्रावधान निम्नानुसार है –

1. **प्रवेशन लैंगिक हमला (Penetrative Sexual Assault) :** अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति :–

   - बच्चे की योनि, मुंह, मुत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग अथवा कोई वस्तु या शरीर का अंग, जो लिंग नहीं हैं, प्रवेशित करता है या बच्चे को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा हैं।
   - बच्चे के शरीर के किसी अंग के साथ इस प्रकार छेड़छाड करना, जिससे कारण बच्चा योनि, मुत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी अंग को प्रवेशित कराता है या बच्चे को अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है।
   - बच्चे के लिंग, योनि, गुदा, मुत्रमार्ग पर अपना मुंह को लगाता है या बच्चे को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है।

दण्ड– अधिनियम की धारा 4 के अनुसार ऐसा करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 7 वर्ष से अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

2. **गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमाला (Aggravated Penetrative Sexual Assault):** अधिनियम की धारा 5 के अनुसार निम्न को गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले सम्मिलित किया गया हैं–

   - बच्चे के सरंक्षण एवं देखभाल के जिम्मेदार व्यक्ति (परिवार के किसी सदस्य (पिता, चाचा, मामा इत्यादि), पुलिस अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल, डॉक्टर, अध्यापक, लोक सेवक, राजकीय कर्मचारी, बाल गृह, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान के कार्मिक द्वारा बच्चे पर प्रवेशन लैंगिंक हमला करना।
   - बच्चे के साथ सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करना।
   - किसी भी व्यक्ति द्वारा विकलांग बच्चे या 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर प्रवेशन लैंगिंक हमला करना या बच्चे पर बच्चे पर एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमला करना।
   - प्रवेशन लैंगिक हमले से बालिका को गर्भवती कर देना या शारीरिक रूप से असक्षम या मानसिक रूप से अस्वस्थ करना या किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करने के पश्चात बच्चे की हत्या करने का प्रयास करना।
   - बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करने के पश्चात बच्चे को सार्वजनिक रूप से नंगा करना इत्यादि।

दण्ड– अधिनियम की धारा 6 के अनुसार ऐसा करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 10 वर्ष से अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

3. **लैंगिक हमला (Sexual Assault) :** अधिनियम की धारा 7 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लैंगिंक आशय से बच्चे की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छूता है या स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को बच्चे से छुआता है या लैंगिंक आशय से अन्य कोई ऐसा कार्य करता हैं, जो लैंगिक हमले की श्रेणी में आता हैं।

दण्ड– अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ऐसा करने वाले वाले व्यक्ति को न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

4. **गुरूत्तर लैंगिक हमला (Aggravated Sexual Assault):** अधिनियम की धारा 9 के अनुसार निम्न को गुरूत्तर लैंगिक हमले सम्मिलित किया गया हैं –

- बच्चे के सरंक्षण एवं देखभाल के जिम्मेदार व्यक्ति (परिवार के किसी सदस्य, पिता, चाचा, मामा इत्यादि), पुलिस अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल, डॉक्टर, अध्यापक, लोक सेवक, राजकीय कर्मचारी, बाल गृह, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान के कार्मिक द्वारा बच्चे पर लैंगिंक हमला करना।
- बच्चे के साथ सामूहिक लैंगिक हमला करना।
- किसी भी व्यक्ति द्वारा विकलांग बच्चे या 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर लैंगिंक हमला करना या बच्चे पर बच्चे पर एक से अधिक बार लैंगिक हमला करना।
- लैंगिक हमले से बच्चे को शारीरिक रूप से असक्षम या मानसिक रूप से अस्वस्थ करना या किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे पर लैंगिक हमला करने के पश्चात बच्चे की हत्या करने का प्रयास करना।
- बच्चे पर लैंगिक हमला करने के पश्चात बच्चे को सार्वजनिक रूप से नंगा करना इत्यादि।

दण्ड– अधिनियम की धारा 10 के अनुसार ऐसा करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 5 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

5. **लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment):** अधिनियम की धारा 11 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा लैंगिक आशय से –

- कोई शब्द/आवाज/संकेत करना या कोई ऐसी वस्तु या शरीर का अंग प्रदर्शित करना।
- किसी व्यक्ति द्वारा लैंगिक आशय से बच्चे को उसके शरीर या उसके शरीर के किसी अंग को प्रदर्शित करने हेतु कहना या कहलाना।
- किसी भी उद्देश्य से बच्चे को कोई अश्लील लेखन वस्तु या अश्लील विडियो/ फिल्म दिखाना।
- सीधे ही या इलेक्ट्रॉनिक, डिजीटल या अन्य किसी माध्यम से बच्चे का बार–बार या लगातार पीछा करता है या देखना या सम्पर्क करना।
- मीडिया के किसी रूप में, यौन कार्य में बच्चे के शरीर के किसी अंग या बच्चे की अलिप्तता को इलेक्ट्रोनिक, फिल्म या डिजीटल या किसी अन्य तरीके के जरिये वास्तविक या काल्पनिक चित्रण का उपयोग करने की धमकी देना।

- किसी बच्चे को अश्लील प्रयोजनों के लिए प्रलोभन देना या लुभाना।

दण्ड- अधिनियम की धारा 12 के अनुसार ऐसा करने वाले वाले व्यक्ति को अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

6. **अश्लील साहित्य प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग करना:** अधिनियम की धारा 13 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अश्लील प्रयोजन के उद्देश्य से मीडिया (टेलीविजन चैनल या इन्टरनेट या किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक कार्यक्रम या प्रिन्टेड़ विज्ञापन द्वारा प्रसारण इत्यादि) के माध्यम से व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के आशय से किसी रूप में बच्चे का उपयोग करता हैं, जिसमें बच्चे के निजी अंगों को दिखाना, वास्तविक या कृत्रिम कार्यों में बच्चे का उपयोग करना, बच्चे की अभद्र या अश्लील प्रस्तुति, अश्लील लेखन प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग करना इत्यादि सम्मिलित है।

दण्ड- अधिनियम की धारा 14 के अनुसार ऐसा करने वाले वाले व्यक्ति को अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा तथा किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य दुबारा या बार–बार करने की स्थिति में उसे अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

7. **बच्चे को सम्मिलित करते हुए अश्लील साहित्य सामग्री के संधारण के लिए दण्ड:** अधिनियम की धारा 15 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए बच्चे को सम्मलित करते हुए किसी भी रूप में कोई अश्लील साहित्य सामग्री का संग्रह करता है, उसे अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

8. **अपराध का दुष्प्रेरण (Abetment of an offence) :** अधिनियम की धारा 16 के तहत् यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत् किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जैसे –

- अपराध को करने हेतु किसी व्यक्ति को उकसाना या
- किसी व्यक्ति का अपराध को करने हेतु किसी षडयन्त्र में एक या अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होना, जिसके परिणामस्वरूप में अपराध से संबंधित कोई घटना घटित होती हैं।
- जानबुझकर अपराध करने में सहायता करना।

दण्ड- अधिनियम की धारा 17 के तहत् कोई अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप घटित हो जाता है, तो दुष्प्रेरित करने वाले वाले व्यक्ति को अपराध हेतु निर्धारित सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

9. **अपराध करने के प्रयास के लिए दण्ड:** अधिनियम की धारा 18 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने या ऐसे अपराध को कराने का प्रयास करता है तथा प्रयास के परिणामस्वरूप अपराध हो जाता हैं, तो ऐसा करने वाले वाले व्यक्ति को अपराध हेतु निर्धारित सजा की आधी सजा या जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

10. **अपराध की रिपोर्टिंग:** इस अधिनियम में वर्णित अपराधों की सूचना देना तथा इसे लेखबद्ध करना

अनिवार्य है। यदि कोई भी व्यक्ति अपराध की रिपोर्ट करने या अपराध को लेखबद्ध करने में असफल रहता है या किसी कम्पनी या संस्था का प्रभारी अपने अधीनस्थ द्वारा किये गये अपराध होने की रिपोर्ट करने में असफल रहता है, तो उसे अधिकतम 1 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

- कोई भी व्यक्ति (बच्चे सहित), जिसे अधिनियम अपराध होने की जानकारी है या अपराध होने की आशंका है, तो उसके द्वारा संबंधित स्थानीय पुलिस अथवा विशेष किशोर पुलिस इकाई में सूचना देना अनिवार्य हैं।

- पुलिस द्वारा इस तरह की घटना की सूचना प्राप्त होने पर 24 घण्टे के भीतर मामले में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित बाल कल्याण समिति एवं विशेष न्यायालय को दी जायेगी। पीड़ित बच्चे के देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चा होने की स्थिति में बच्चे को 24 घण्टे के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

11. पुलिस/मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चे का बयान लेखबद्ध करना:

- पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा पीड़ित बच्चे के बयान उसके निवास या उसके पसन्दीदा स्थान पर लेखबद्ध किये जायेंगे। बच्चे का बयान लेखबद्ध करते समय पुलिस अधिकारी पोशाक (वर्दी) में नहीं होगा।
- बच्चे के बयान उसके माता–पिता या अन्य कोई व्यक्ति, जिस पर बच्चा विश्वास करता हो, की उपस्थिति में बच्चे द्वारा कहे अनुसार हुबहू लेखबद्ध किये जायेगें।
- बच्चे के बयान ऑडियो–वीडियों इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी लेखबद्ध किये जायेंगे।

12. मीडिया के लिए प्रक्रिया:

- किसी भी व्यक्ति द्वारा बच्चे की गरिमा एवं सम्मान को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार मीडिया या स्टूडियों या फोटो चित्रण करना अपराध है, ऐसे मीडिया स्टूडियों एवं फोटो चित्रण सुविधाओं के प्रकाशक या स्वामी संयुक्त एवं पृथक रूप से इस अपराध हेतु जिम्मेदार होगें।
- किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका या ऑडियो–विडियों मीडिया या अन्य किसी संवाद के माध्यम लैंगिक दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चे बच्चे की पहचान यथा बच्चे का नाम, पता व फोटो, परिवार का विवरण, पडोसी या अन्य विवरण उजागर/प्रकाशित करना अपराध हैं।
- उक्त में से किसी प्रकार का अपराध करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 6 माह से अधिकतम 1 वर्ष तक के कारवास की सजा अथवा जुर्माना या सजा एवं जुर्माना दोनों से दण्डित किया जायेगा।

13. बच्चे की चिकित्सीय जांच:

- पीडित बच्चे की चिकित्सीय जांच प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुए बिना भी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164–क के अनुसार संचालित की जायेगी।
- बच्चे के माता–पिता या किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर बच्चा अपना विश्वास रखता है, की

उपस्थिति में चिकित्सीय जांच की जायेगी। बालिका की चिकित्सीय जांच महिला डॉक्टर द्वारा की जायेगी।

14. विशेष न्यायालयः

- अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य में प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालय स्तर के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लेने के 30 दिनों की अवधि के भीतर बच्चे का साक्ष्य/बयान लेखबद्ध किये जायेगे।
- विशेष न्यायालय द्वारा बन्द कमरे में, बच्चे के माता–पिता, संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर बच्चा विश्वास करता हैं, की उपस्थिति में बाल मैत्री वातावरण में सुनवाई की जायेगी।
- विशेष न्यायालय वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिये या एक तरफ दिखाई देने वाले कांच या पर्दे या किसी अन्य उपकरण का उपयोग करते हुए बच्चे के बयान को लेखबद्ध कर सकेगा।
- विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसंधान या विचारण के दौरान किसी भी समय बच्चे की पहचान प्रकट नहीं होंः परन्तु लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों के लिए बच्चे के हित, विशेष न्यायालय ऐसा प्रकटीकरण की अनुमति दे सकेगा।
- विशेष न्यायालय द्वारा यथासंभव अपराध का प्रसंज्ञान लेने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर मामला निस्तारित किया जायेगा।

15. विधिक सहायताः

अधिनियम के अंतर्गत बच्चे का परिवार या संरक्षक अपनी पसन्द के विधि अधिवक्ता की सहायता लेने का हकदार होगा। यदि बच्चे का परिवार या संरक्षक विधि अधिवक्ता का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं, तो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता की सेवाएं प्राप्त कर सकेगें।

16. प्रतिकर/मुआवजाः

विशेष न्यायालय द्वारा समुचित मामलों में स्वप्रेरणा से या आवेदन प्रस्तुत होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने के पश्चात पीड़ित बच्चे के पक्ष में अन्तरिम अथवा अंतिम (पूर्ण) मुआवजा/प्रतिकर का आदेश पारित किया जा सकेगा, जिसे अन्तिम प्रतिकर में समायोजित किया जाएगा। यह प्रतिकर राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी किया जायेगा।

12. बाल संरक्षण हेतु कार्यरत तंत्र

राज्य में विभिन्न अपराधों से बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने तथा विधिवत न्यायिक प्रक्रिया के तहत् संरक्षण प्रदान करने हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् कार्यरत बाल संरक्षण तंत्र निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	स्तर	कार्यरत तंत्र	बाल संरक्षण में भूमिका
1.	राष्ट्रीय स्तर	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चन्द्रलोक भवन, 5 वी मंजिल, 36 जनपथ रोड़, पहाड़गंज, माथुर लेन, नई दिल्ली	• देश में बच्चों से संबंधित अधिनियमों के क्रियान्वयन की निगरानी करना। • बाल संरक्षण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को सुनना तथा संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देना। • बाल संरक्षण पर कार्यरत एंजेसियों एवं हितधारकों के कार्यों का जायजा लेने हेतु दौरे करना इत्यादि। • आयोग की बेवसाइट पर स्थापित पोक्सो ई–बॉक्स पर प्राप्त शिकायतों का अवलोकन करना तथा संज्ञान लेना।
2.	राज्य स्तर	राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2 जल पथ, गांधीनगर, जयपुर 0141– 2786442	• राज्य में बच्चों से संबंधित अधिनियमों के क्रियान्वयन की निगरानी करना। • बाल संरक्षण के संबंध में प्राप्त शिकायतों को सुनना तथा शिकायत के संबंध में संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देना। • बाल संरक्षण पर कार्यरत एंजेसियों एवं हितधारकों के कार्यों का जायजा लेने हेतु दौरे करना इत्यादि।
3.	राज्य स्तर	राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, 20/198, सेक्टर–2, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर 0141–2399335	• राज्य में बच्चों से संबंधित अधिनियमों नियम, दिशा–निर्देश इत्यादि का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। • राज्य में कार्यरत बाल संरक्षण घटकों को सहयोग उपलब्ध कराना। • राज्य में कार्यरत बाल संरक्षण तंत्र हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन करना। • राज्य में बाल संरक्षण स्थिति का आंकलन करना तथा जिला बाल संरक्षण इकाई से रिपोर्ट प्राप्त करना। • राज्य स्तर पर बच्चों से संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करना। • राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यरत बाल संरक्षण तंत्र को समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत् वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना।
4.	जिला स्तर	जिला बाल संरक्षण इकाई (जिला मजिस्ट्रेट के प्रशासनिक नियंत्रण में)	• जिले में बाल संरक्षण से संबंधित अधिनियम, नियम, दिशा–निर्देश इत्यादि का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। • जिले में बाल संरक्षण स्थिति का आंकलन करना तथा ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति से इस संबंध में आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त करना इत्यादि। • जिले में कार्यरत बाल संरक्षण घटकों को सहयोग उपलब्ध कराना।

5.	जिला स्तर	बाल कल्याण समिति (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त न्यायपीठ)	• देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरण में देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास तथा पुनर्वास सुनिश्चित करना। • लैंगिक दुव्यवहार के मामलों में पीड़ित बच्चों की सहायता हेतु समर्थन व्यक्ति (Support Person) नियुक्त करना। • जिले में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु संचालित बाल देखरेख संस्थानों का निरीक्षण करना तथा बच्चों हेतु आवश्यक सुविधाओं का जायजा लेना। • देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करना।
6.	जिला स्तर	किशोर न्याय बोर्ड (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त न्यायपीठ)	• विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों की जांच, सुनवाई, निस्तारण एवं पुनर्वास सुनिश्चित करना। • विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों में न्याय सुनिश्चित करने हुए प्रकरण का निस्तारण करना।
7.	जिला स्तर	मानव तस्करी विरोधी यूनिट	• बच्चों की खरीद–फरोख्त एवं दुर्व्यापार की रोकथाम करना। • लैंगिक अथवा शारीरिक शोषण/तस्करी से पीड़ित बच्चों को मुक्त कराना।
8.	जिला स्तर	चाइल्ड लाइन 1098	• मुसीबत में फंसे बच्चों, दुर्व्यवहार/लैंगिक दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों की सहायता करना। • सूचना मिलने पर पुलिस एवं अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चे तक पंहुचना तथा आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना। • बच्चे की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
9.	ब्लॉक स्तर	बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार)	• 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक के विवाह की सूचना मिलने पर इसे रूकवाने हेतु तत्काल कार्यवाही करना। • बाल विवाह नहीं करने हेतु बालक/बालिका के माता–पिता को पाबंद करना। • बाल विवाह की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु पारिवारिक न्यायालय के माध्यम से निषेधाज्ञा जारी करवाना। • बाल विवाह शुन्य करवाने में बच्चों की मदद करना।

10.	जिला एवं थाना स्तर	विशेष किशोर पुलिस इकाई (प्रत्येक जिला में) एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (प्रत्येक पुलिस थाने में)	• देखभाल एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों एवं विधि से संघरर्षरत बच्चों के संबंध में शिकायत मिलने पर या पुलिस के संज्ञान लेना। • बच्चे की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। • बच्चों के विरूद्ध अपराध के मामलों में अविलंम्ब रिपोर्ट दर्ज करना तथा बच्चे द्वारा चाहे गये स्थान पर बयान दर्ज करना। • प्रकरण की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार बच्चे को बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत करना। • बच्चों के प्रकरण में शीघ्रताशीघ्र अनुसंधान करना इत्यादि।
11.	ग्राम पंचायत स्तर	पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति	• इस समिति द्वारा ग्राम पंचायत में बाल मैत्री वातावरण तैयार किया जायेगा। समिति द्वारा बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु जागरूकता पैदा की जायेगी। बच्चों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़कर पुर्नवासित किया जायेगा।
12.	ब्लॉक स्तर	ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति	• बाल मैत्री वातावरण का निर्माण करते हुए बाल संरक्षण कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन तथा ग्राम पंचायत से प्राप्त रिपोर्ट, आवेदनों एवं सूचनाओं की वस्तुस्थिति का आंकलन कर जिला एवं राज्य बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित करना। बच्चों से संबंधित संस्थाओं/विभागों का निरीक्षण करना। • दुर्व्यवहार/हिंसा/शोषण के मामलों में आवश्यकतानुसार जॉच कार्य में संबंधित एजेंसियों का सहयोग करना।

13. बच्चे बाल लैंगिक दुर्व्यवहार से बचाव कैसे करें –

- बच्चे निम्न बिन्दुओं की अनुपालना करते हुए लैंगिक दुर्व्यवहार से स्वयं का संरक्षण कर सकते है :–
- जब भी कोई आपको इस तरह से छुए जो आपको अच्छा नहीं लगे तो साफ शब्दों में **'ना'** कहें।
- जोर–जोर से चिल्लाये और तब तक चिल्लाये जब तक कोई मदद नहीं मिले।

- वहां से किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाये एवं तुरन्त अपने माता–पिता या विश्वसनीय व्यक्ति को बतायें।
- अगर तुम्हे कोई असहज तरीके से छूता है, गलत कार्य करने हेतु कहता है, ऐसे चित्र या वस्तु दिखाता है जिसमें निजी अंग दिख रहे हों एवं इन सब बातों को गोपनीय रखने के लिए कहता है, तो उससे डरें नहीं तथा इसके बारे में तुरन्त अपने माता–पिता या विश्वसनीय व्यक्ति को बतायें।
- अनजान लोगों से कोई भी उपहार जैसे चॉकलेट, खिलोने या अन्य वस्तु नहीं लेना चाहिए।
- हमेशा याद रखें अगर कोई बच्चों के साथ गलत या अश्लील हरकत करने का प्रयास करता है तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है।

14. बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम कैसे करें –

प्रतिदिन बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक दुर्व्यवहार की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलने के बावजूद भी क्या हम अपने बच्चों को ऐसे दुर्व्यवहार की घटनाओं से सुरक्षित व सावधान रहने के बारे में सशक्त या शिक्षित या जागरूक करते है? बच्चे देश की सम्पत्ति एवं भविष्य है, परिवार में उनकी सुरक्षा एवं विकास सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है, बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि समुदाय का भी दायित्व है। बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की घटनाओं की रोकथाम हेतु बच्चों को सचेत/ सावधान एवं शिक्षित करने तथा सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु निम्न प्रयास किये जा सकते हैंः–

व्यक्तिगत प्रयास

- अगर बच्चा अचानक उदास या चुप रहने लगे तो धैर्यपूर्वक बातचीत के माध्यम से कारण जानने की कोशिश करें तथा बच्चा अगर किसी शोषण के बारे में जिक्र करे तो अपने बच्चे पर विश्वास करें।
- अगर बच्चे का किसी व्यक्ति के प्रति ज्यादा लगाव हो रहा हो तो कृपया सचेत एवं सजग रहे।
- कोई अनजान व्यक्ति या पड़ोसी या रिश्तेदार आवश्यकता से अधिक बच्चे के साथ मेल–जोल बढ़ाने लगे, उसे अकेले अपने साथ रखने लगे या आवश्यकता से अधिक बच्चे को छूने व प्यार करने लगे तो ऐसे व्यक्ति से सतर्क रहे एवं अपने बच्चे को ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाने से रोकें।
- किसी ना किसी तरीके से पता लगायें कि बच्चे और उनके दोस्त क्या खेल खेलते है। क्योंकि ऐसा भी पाया गया है कि बच्चे आपस में ही लैंगिक क्रियाओं में सक्रिय हो जाते है। अगर आपको ऐसा आभास होता है तो अपने बच्चों से बातचीत करें तथा उन्हे सही और गलत के बारे में बताएं।
- जब बच्चे 3 वर्ष के हो जाये तो उन्हे गुप्तांग सही तरीके से धोना सिखाये और उन्हे सावधान करें कि अपने निजी अंग किसी को नहीं छूने दें। तब ही बच्चे छोटी उम्र से समझने लगेगें कि उनके शरीर को किसी दूसरे को छूने का हक नहीं है।
- अपने बड़े बच्चों को यौन संबंधों से संबंधित सही मूल्यों के बारे में बताये। आपके लिए यह असहज हो सकता है, लेकिन अगर आप सही जानकारी नहीं देगे तो हो सकता है दूसरे उन्हे गलत जानकारी दें, बच्चे उसे ही सही समझने लगे।
- अपने बच्चों को सिखायें कि वे किसी अनजान व्यक्ति की दूरी बनाये रखे।

- बच्चों को सिखायें कि यदि किसी भी वह व्यक्ति के स्पर्श से असहज महसूस करें तो उसका विरोध करें तथा अपने परिजनों को तुरन्त बतायें।
- अगर बच्चे किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करें तो चुप ना रहे और अपने बच्चों को विश्वास दिलाए कि आप उनके साथ हैं तथा उसकी सुरक्षा कर सकते है।
- कभी भी बच्चों को किसी ऐसे व्यस्क से मिलने पर मजबूर ना करे जिनसे मिलने में बच्चे असहज महसूस करते हों।
- रिश्तेदार एवं अपनों से होने वाला लैंगिक दुर्व्यवहार एक अमानवीय घटना है, अतः जब बच्चा अपने किसी परिजन एवं रिश्तेदार के पास जाने से कतराए या डरने लगे तो उसे जानने की कोशिश करें, न कि उस पर विश्वास करे तथा यदि ऐसा होता है तो तुरन्त पुलिस को सूचित करें।
- नौकरी (जॉब) करने पति–पत्नी विशेष तौर पर अपने बच्चों पर निगरानी रखें एवं उनको अकेले किसी के पास छोड़ते समय सावधान रहे।
- बच्चों को घर में चाइल्ड़ हेल्प लाइन–1098, पुलिस का 100 नंबर के बारे में जानकारी प्रदान करें एवं उन्हें सशक्त बनाये।
- यदि घर में बच्चों को अकेले रहना है तो घर में सीसीटीवी आदि की सहायता लें जिससे आपके न होने पर भी घर में कैमरे की नजर बच्चों एवं घर में आने–जाने वालों पर रहे।
- सबसे जरूरी बात यह है कि अपने बच्चों से बातचीत करें और उनकी बातों को एक दोस्त की तरह समझें, ताकि वे आपसे सहजता से बात कर सके।

समुदायिक प्रयास –

- सामुदायिक कार्यक्रम में (ग्राम सभा, पंचायत समिति के बैठक इत्यादि) में वयस्कों से बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक दुर्व्यवहार एवं इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करें तथा इसके माध्यम से यह संदेश प्रसारित करे कि बच्चों का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
- थिएटर/सिनेमाघरों में बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम के प्रति जागरूक करने वाला संदेश प्रसारित किया जाना चाहिए।
- क्लब एवं समूहों को विशेष जागरूकता अभियान, अभिभावकों हेतु जागरूकता कार्यक्रम एवं सामुदायिक स्तर पर बच्चों हेतु आत्मरक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- विद्यालयों एवं समुदाय में होर्ड़िग्स, पम्पलेट्स, पोस्टर, नारे लेखन, संचार सामग्री के माध्यम से बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु प्रचार–प्रसार करना।
- जन प्रतिनिधियों के साथ संवाद के माध्यम से बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम की पैरवी करना।
- जन प्रतिनिधियों को बच्चों के प्रति संवेदनशील करते हुए उनके लिए निर्धारित कोष में से बाल सुरक्षा तंत्र का निर्माण करना, जिससे पार्को, विद्यालयों, वाहनों में आते–जाते समय एवं अन्य स्थानों पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- स्कूल बस ड्राईवर, टेम्पो ड्राईवर आदि जो बच्चों के सतत् संपर्क में आते है उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों के प्रति संवेदनशील बनाना।

- लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का पुरजोर विरोध करना।
- समुदाय में पीड़ित बच्चे को दोषी नहीं मानना एवं उनकी उपेक्षा नहीं करना तथा पीड़ित बच्चों का समर्थन करना।

15. बाल लैंगिंक दुर्व्यवहार की रोकथाम में विभिन्न विभागों की भूमिका -

बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम तथा पीड़ित बच्चों के संरक्षण, उपचार, न्याय की प्राप्ति और पुनर्वास के लिए सभी प्रमुख घटकों यथा पुलिस, चिकित्सा संस्थान, बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण के विषय पर कार्यरत सभी संस्थाओं के समन्वित प्रयास की जरूरत है।

बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम एवं ''लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012'' के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा क्रमांक 65441–1000 दिनांक 31.03.2017 के माध्यम से जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार संबंधित विभाग/एजेंसियों की संभावित भूमिका निम्नानुसार हैः–

पुलिस विभाग-

1. राज्य में स्थापित सभी पुलिस थानों में पदस्थापित थानाधिकारियों/बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों का लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 पर प्रशिक्षण/क्षमतावर्धन किया जाये।
2. समस्त थानाधिकारी/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा थाने के अन्य अधिकारी/कार्मिक को पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया जाये।
3. समस्त थानाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के सभी सीएलजी सदस्यों को भी पोक्सो अधिनियम की जानकारी प्रदान करते हुए बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की सूचना तत्काल पुलिस को दिये जाने तथा इसकी रोकथाम हेतु समुदाय में जन जागरूकता फैलाने के निर्देश दिये जाये।
4. बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्र में संचालित बाल गृहों, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में जाकर बच्चों की सुरक्षा के संबंध में जायजा लिया जाये तथा बाल लैगिंक दुर्व्यवहार के बारे में बच्चों को विस्तृत जानकारी दी जाये।
5. किसी बच्चे साथ लैंगिक दुर्व्यवहार होने या होने की आंशका के संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की जाये।
6. अपराधी का किसी भी स्थिति में पीडित बच्चे के संपर्क में नहीं आना सुनिश्चित किया जाये।
7. बच्चों के विरूद्व अपराधों के मामलों की जांच प्राथमिकता के आधार पर अधिकतम एक माह के अंदर पूरी की जाकर चालान विशेष न्यायालय में पेश किया जाये।
8. बच्चों के विरूद्व अन्य अपराधों के मामलों में किशोर न्याय (बालको की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के तहत् प्रभावी कार्यवाही की जाये।
9. पीड़ित बच्चों के लिए आवश्यकतानुरूप संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से विशेष

शिक्षक / परामर्शदाता / अनुवादक इत्यादि की सेवाएं ली जाये।

10. पुलिस द्वारा पीड़ित बच्चे एवं उसके परिवार को समय–समय पर प्रकरण की नवीनतम स्थिति जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी, चालान एवं न्यायालय में प्रकरण की स्थिति से अवगत कराया जाये।
11. पुलिस द्वारा बच्चे या उसके परिवारजन को राजस्थान पीडित प्रतिकार स्कीम, 2011 एवं अनुसूचित जाति–जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के तहत पीडित मुआवजा प्राप्त करने के प्रावधानों से अवगत कराया जाये।
12. पीडित बच्चे के आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के मामले में, संबंधित थानाधिकारी द्वारा तत्काल चिकित्सा की व्यवस्था हेतु राजस्थान पीडित प्रतिकार मुआवजा स्कीम, 2011 के तहत अंतरिम मुआवजा / प्रतिकार हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जाये।
13. पुलिस द्वारा बाल लैंगिक दुर्व्यवहार के प्रकरणों में प्रत्येक स्तर पर बाल मैत्री वातावरण एवं प्रक्रिया अपनायी जाये, जिसमें पीडित बच्चें की पहचान किसी स्तर पर सार्वजनिक नहीं करना, थाने में बच्चे को नहीं रोकना, पीडित एवं गवाह की सुरक्षा इत्यादि प्रमुख है।
14. किसी पुलिस अधिकारी / कार्मिक द्वारा बच्चे के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार करने के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त उसे निलम्बित कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
15. राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा रेल्वे स्टेशन एवं उसके आस–पास रहने वाले बच्चों एवं उनके परिवार के अतिरिक्त स्थानीय वेन्डर, कुली इत्यादि को पोक्सों अधिनियम एवं बाल सुरक्षा के बारें में जागरूक किया जाये।
16. पुलिस द्वारा बाल यौन हिंसा की शिकायत करने वाले व्यक्ति / बच्चे को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाये।
17. राजस्थान पुलिस द्वारा पोक्सों अधिनियम के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना की जाये।

बाल कल्याण समिति

1. बच्चे के साथ किसी भी तरह की लैंगिक दुर्व्यवहार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रसंज्ञान लेकर पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा पीडित बच्चे की देखभाल एवं संरक्षण की व्यवस्था जाये।
2. लैगिंक दुर्व्यवहार से पीडित बच्चों के पुनर्वास के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत देखरेख कार्ययोजना सुनिश्चित कर जल्द से जल्द पुनर्वास हेतु आवश्यक कदम उठाये जाये तथा एक निश्चित अवधि तक अनुवर्तन किया जाये।
3. जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के माध्यम से पीडित बच्चे या उसके परिवार को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जाये।
4. पीडित बच्चे या उसके परिवारजन को राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 एवं अनुसूचित जाति–जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के तहत् मुआवजा / प्रतिकर प्राप्त करने के

प्रावधानों से अवगत कराया जाये।

5. समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि लैगिंक दुर्व्यवहार से पीडित बच्चों के प्रकरण में प्रत्येक स्तर पर बाल मैत्री वातावरण एवं प्रक्रिया अपनायी जाये, जिसमें पीडित बच्चें की पहचान किसी स्तर पर सार्वजनिक नहीं करना, थाने में बच्चे को नहीं रोकना, पीडित एवं गवाह की सुरक्षा इत्यादि मुख्य है।
6. समिति द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले बाल देखरेख संस्थानों/छात्रावासों का नियमित अन्तराल पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं बच्चों से बातचीत कर उनकी सुरक्षा के संबंध में चर्चा जाये।
7. यदि मीडिया या पुलिस द्वारा पीडित बच्चे की पहचान या प्रकरण का खुलासा किया जाता है, तो समिति द्वारा ऐसे प्रकरणों में आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
8. प्रत्येक यौन हिंसा/शोषण से पीड़ित बच्चे को काउंसलर की सेवाएं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग–

1. राजकीय/गैर राजकीय अस्पताल/सेटेलाईट अस्पताल के डाक्टर/नर्स एवं अन्य कार्मिको को पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया जाये तथा उन्हें बाल लैंगिक दुर्व्यवहार के प्रकरणों में चिकित्सा जांच एवं अन्य चिकित्सीय कार्यों में बच्चे के प्रति संवेदनशील बनने तथा बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु जागरूकता फैलाने के निर्देश दिये जाये।
2. अस्पताल अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा सभी चिकित्सक, नर्स एवं अन्य कार्मिकों का पोक्सो अधिनियम के अनुसार तथा भारत सरकार द्वारा बाल लैंगिक दुर्व्यवहार के प्रकरणों में चिकित्सा जांच हेतु जारी नवीन दिशा–निर्देश पर आमुखीकरण किया जाये।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की जिम्मेदारी है, कि वे सभी आशा सहयोगिनियों का पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया जाये एवं उन्हें बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु जागरूकता फैलाने के निर्देश दिये जाये।
4. समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय अस्पतालों द्वारा लैंगिक दुर्व्यवहार से पीड़ित बालक/बालिकाओं की नियमानुसार आवश्यक चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जाये तथा भारत सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा–निर्देश में निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सा जांच की जाये। किसी भी स्थिति पीड़ित बच्चे की चिकित्सा जांच में विलम्ब नहीं किया जाये तथा ना ही पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट मांग की जाये।
5. बाल लैंगिक दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों के अभिभावक/संरक्षक/समर्थन व्यक्ति अथवा जिस पर बच्चा विश्वास करता हो की उपस्थिति में ही चिकित्सा जांच की जावें, जहॉ तक संभव हो जॉच महिला मेड़िकल अधिकारी द्वारा की जावें।
6. बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की शिकार बालिका के परिवारजन के पीड़ित उसके साथ नहीं होने की स्थिति में अस्पताल प्रशासन/मेडिकल बोर्ड द्वारा नामित महिला अधिकारी की उपस्थिति में मेडिकल जांच की जावें।
7. बाल लैंगिक दुर्व्यवहार के शिकार बालक/बालिका को अत्यधिक ट्रोमा में होने की स्थिति में जिला

बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से तत्काल काउंसलिंग सुविधा उपलब्ध कराई जावें।

8. जिले में संचालित राजकीय/गैर राजकीय अस्पताल/नर्सिंग होम द्वारा बाल लैंगिक दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जाये।
9. समस्त आशा सहयोगिनियों द्वारा उनके सम्पर्क में आने वाली महिलाओं को बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम के बारे में जागरूक किया जाये।
10. राजकीय/गैर राजकीय अस्पताल/सेटेलाईट अस्पताल के डाक्टर/नर्स/आशा सहयोगिनी एवं अन्य कार्मिको की जिम्मेदारी होगी, कि उनके ध्यान में आने वाले प्रत्येक बाल लैंगिक दुर्व्यवहारा के प्रकरण की सूचना पुलिस को उपलब्ध कराये।
11. टीकाकरण दिवस के दौरान संपर्क में आने वाली महिलाओं एवं अन्य व्यक्तियों को बाल बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम के बारे में जागरूक किया जाये।
12. विभाग द्वारा आयोजित होने वाली सैक्टर मिटिंग के दौरान आशा सहयोगिनियों द्वारा बाल लैंगिक दुर्व्यवहार/हिंसा की रोकथाम हेतु किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की जाये।

जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग-

1. जिले में स्थापित सभी राजकीय एवं गैर राजकीय छात्रावासों/बाल देखरेख संस्थानों/विमंदित गृहों/राजकीय आवासीय विद्यालयों में पदस्थापित अधीक्षक/प्रभारियों का लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 पर प्रशिक्षण/क्षमतावर्धन किया जाये।
2. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारी/प्रभारियों को अपने संस्थानों के आस–पास वाले क्षेत्रों में बच्चों/अभिभावकों तथा संस्थान के बच्चों को उनके अधिकारों एवं बाल लैंगिक दुर्व्यवहार से सुरक्षा के संबंध में जागरूक करने तथा समुदाय में बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु जन जागरूकता फैलाने तथा बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की सूचना तत्काल पुलिस को दिये जाने के निर्देश दिये जाये। इसमें विफल रहने पर संबंधित अधीक्षक/प्रभारी अथवा अन्य कोई जानकारी रखने वाले व्यक्ति के विरूद्ध पोक्सो अधिनियम के तहत् मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा।
3. समस्त प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारी/प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने संस्थान में कार्यरत अधिकारी/कार्मिकों को बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम एवं पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराये।
4. राजकीय छात्रावासों/बाल गृहों/विमंदित गृहों/आवासीय विद्यालयों किसी कार्मिक द्वारा बाल लैंगिक दुर्व्यवहार करने के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त संबंधित कार्मिक को तत्काल निलम्बित कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। गैर सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी कि, वे आरोपित व्यक्ति की तत्काल प्रभाव से सेवाएं समाप्त करे।
5. जिला बाल सरंक्षण इकाई की नियमित बैठकों में लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के क्रियान्वयन की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जारी किए जाये।
6. मनोचिकित्सक, विशेष शिक्षक, कानूनी विशेषज्ञ, बाल विकास विशेषज्ञ, अनुवादक, परामर्शदाता,

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, अनुभवी स्वैच्छिक संगठन का पैनल तैयार किया जाकर सभी पुलिस थानों को इसकी सूचना दी जाये।

7. यथासंभव प्रत्येक बाल लैंगिक दुर्व्यवहार/शोषण से पीड़ित बच्चे को काउंसलर की सेवाएं उपलब्ध कराई जाये।

8. संबंधित बाल कल्याण समिति, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण, चाइल्डलाइन–1098 एवं न्यायपालिका के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

9. जिले में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में जाकर बच्चों की सुरक्षा के संबंध में जायजा लिया जाये तथा प्रत्येक संस्थान के सार्वजनिक स्थान पर चाइल्ड लाइन 1098, पुलिस, बाल कल्याण समिति एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पता एवं दूरभाष नम्बर अंकित कराया जाये।

10. स्वयं के स्तर एवं स्थानीय पुलिस के सहयोग से जिले में संचालित सभी अपंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं की पहचान की जाये तथा इसकी सूचना जिला कलेक्टर एवं बाल अधिकारिता विभाग को दी जाये तथा संबंधित संस्था संचालक के विरूद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

शिक्षा विभाग (सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)–

1. राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों को पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया जाये तथा उन्हें विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को माह में कम से कम 2 बार प्रार्थना के पश्चात उनके अधिकारों एवं बाल लैंगिक दुर्व्यवहार से सुरक्षा के संबंध में जागरूक करने तथा समय–समय पर समुदाय में बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु जागरूकता फैलाने के निर्देश दिये जाये।

2. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों एवं संकुल प्रभारियों का पोक्सो अधिनियम पर आमुखीकरण किया जाये तथा उनके द्वारा किये जाने वाले विद्यालयों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के दौरान बच्चों के साथ उनकी सुरक्षा के संबंध में संवाद किये जाये।

3. सभी राजकीय विद्यालयों में स्थापित विद्यालय प्रबंध समितियों एवं गैर राजकीय विद्यालयों में स्थापित अभिभावक शिक्षक संघ (पेरेन्ट्स टीचर ऐसोसियेशन) में बच्चों के अभिभावकों से भी बच्चों के व्यवहार एवं बाल लैंगिक दुर्व्यवहार से सुरक्षा के संबंध में चर्चा की जायेगी।

4. समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों में माह में कम से कम 1 बार चाइल्ड लाइन इण्डिया फाउण्डेशन द्वारा निर्मित फिल्म ''कोमल'' तथा उचित अथवा अनुचित स्पर्श पर उपलब्ध अन्य फिल्म प्रदर्शित की जाये।

5. समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों के सार्वजनिक स्थान पर शिकायत पेटी लगाई जाये, ताकि बच्चों को अपनी बात रखने का उचित माध्यम उपलब्ध हो सके। विद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, कि प्रत्येक 15 दिवस पर शिकायत पेटी को खोले तथा प्राप्त शिकायतों पर गोपनीयता से त्वरित कार्यवाही करें।

6. विद्यालय प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/प्रशासक की जिम्मेदारी होगी, कि उनके ध्यान में आने वाले/शिकायत पेटी से प्राप्त प्रत्येक बाल दुर्व्यवहार के प्रकरण की सूचना पुलिस को दी जाये। इसमें विफल रहने पर संबंधित अथवा अन्य कोई जानकारी रखने वाले व्यक्ति के विरूद्ध पोक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया जाये।

7. प्रत्येक विद्यालय एवं संस्थान की एक बाल सुरक्षा नीति होनी चाहिए, जो संस्थान/विद्यालय से जुड़े हर व्यक्ति पर लागू हो। इस नीति पर शिक्षको, कर्मचारी, बाहरी अनुदेशकों तथा बच्चों के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कराया जाना चाहिए।

8. प्रत्येक विद्यालय एवं संस्थान द्वारा अपने परिसर में बच्चों को प्रताड़ित (रैगिंग) करने से रोकने हेतु प्रयास किये जाये।

9. बाल लैंगिंक दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चे की किसी माध्मय से पहचान (बच्चे का नाम, परिवार, फोटो, पता या अन्य विवरण) उजागर नहीं की जाये।

10. विद्यालयों में बच्चों के साथ शारीरिक दण्ड एवं मानसिक प्रताड़ना की रोकथाम हेतु राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का सख्ती से पालना सुनिश्चित किया जाये।

11. यदि बच्चे लैंगिक दुर्व्यवहार के बारे में बताते है, तो इसे गम्भीरता से लिया जाये तथा बच्चे को पूर्ण सहायता उलब्ध करायी जाये।

12. राजकीय विद्यालयों के किसी कार्मिक द्वारा बाल यौन हिंसा करने के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त संबंधित कार्मिक को तत्काल निलम्बित कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। गैर सरकारी विद्यालयों की जिम्मेदारी होगी कि वह आरोपित व्यक्ति की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करे।

13. विद्यालयों में बच्चों के परिवहन हेतु उपयोग में आने वाले वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य किया जाये तथा वाहन चालकों को भी बच्चों की सुरक्षा के जुड़े प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाये। परिवहन के दौरान बच्चों की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रशासन की होनी चाहिए।

14. जिले में संचालित राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों के सार्वजनिक स्थान तथा परिवहन हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों पर चाइल्डलाइन 1098, पुलिस, बाल कल्याण समिति एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पता एवं दूरभाष नम्बर अंकित कराया जाये।

15. विद्यालयों में किसी भी स्थिति में बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा/मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाये तथा ऐसा होने पर संबंधित शिक्षक के विरूद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाये।

16. प्रत्येक विद्यालय में चाइल्ड राईट क्लब/बाल संसद का प्रभावी संचालन करते हुए बच्चों की सहभागिता को बढावा दिया जाये।

17. विद्यालयों द्वारा बच्चों की काउंसलिंग के लिए अनुभवी काउंसलर की सेवाएं उपलब्ध कराई जाये।

18. विद्यालयों में लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बाल यौन हिंसा की

रोकथाम के संबंध में सघन जन–जागरूकता पैदा करने हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार सामग्री का निर्माण किया जाये।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग–

1. अल्पसंख्यक मामलात विभाग से सम्बद्ध आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों एवं मदरसों के प्रभारियों एवं कर्मचारियों को पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया जाये तथा उन्हें बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु जागरूकता फैलाने के निर्देश दिये जाये।
2. जिले में स्थापित सभी आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों एवं मदरसाओं में माह में कम से कम 2 बार बच्चों को उनके अधिकारों एवं बाल लैंगिक दुर्व्यवहार से सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया जाये।
3. समस्त आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों एवं मदरसों में माह में कम से कम 1 बार चाइल्ड–लाइन इण्डिया फाउण्डेशन द्वारा निर्मित फिल्म ''कोमल'' तथा उचित अथवा अनुचित स्पर्श पर उपलब्ध अन्य फिल्म प्रदर्शित की जाये।
4. समस्त आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों एवं मदरसाओं के सार्वजनिक स्थान पर शिकायत पेटी लगाई जाये, ताकि बच्चों को अपनी बात रखने का उचित माध्यम उपलब्ध हो सके। सम्बधित प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, कि प्रत्येक 15 दिवस पर शिकायत पेटी को खोले तथा प्राप्त शिकायतों पर गोपनीयता त्वरित कार्यवाही करें।
5. आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों एवं मदरसाओं के प्रभारियों की जिम्मेदारी होगी, कि उनके ध्यान में आने वाले प्रत्येक बाल लैंगिक दुर्व्यवहार के प्रकरण की सूचना पुलिस को उपलब्ध कराये। इसमें विफल रहने पर संबंधित अथवा अन्य कोई जानकारी रखने वाले व्यक्ति के विरूद्ध पोक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया जायेगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग–

1. समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया जाये तथा उन्हें केन्द्र पर आने वाले आयु के आधार पर बच्चों को उनके अधिकारों एवं बाल लैंगिक दुर्व्यवहार से सुरक्षा के संबंध में जागरूक करने तथा समय–समय पर समुदाय में बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु जागरूकता फैलाने के निर्देश दिये जाये।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारियों तथा महिला पर्यवेक्षकों को उक्त निर्देशों की अनुपालना कराने की जिम्मेदारी जाये।
3. आंगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाली महिलाओं तथा घर संपर्क के दौरान आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा महिलाओं को बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु जागरूक किया जाये।
4. सबला योजना के अंतर्गत जुड़ी हुई किशोरी बालिकाओं को भी समय–समय पर बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु जागरूक किया जाये तथा उनके माध्यम से अन्य बालिकाओं तक भी यह जानकारी पहुंचाई जाये।

5. आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका की जिम्मेदारी होगी कि उनके ध्यान में आने वाले प्रत्येक बाल लैंगिक दुर्व्यवहार के प्रकरण की सूचना पुलिस को उपलब्ध कराई जाये।
6. आंगनबाड़ी केन्द्रों के सार्वजनिक स्थान पर बच्चों की सुरक्षा हेतु संचालित चाइल्ड लाइन 1098 का नम्बर अंकित कराया जाये।
7. महिला पर्यवेक्षकों द्वारा सैक्टर मिटिंग के दौरान आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की जाये।
8. बेटी बचाओं बेटी पढाओं के अभियान के तहत विशेष रूप से बाल यौन हिंसा की रोकथाम हेतु जागरूकता पैदा की जाये।

जिला परिषद्-

1. ग्राम पंचायतों में पदस्थापित ग्राम सचिवों का पोक्सो अधिनियम पर आमुखीकरण किया जाये तथा उनकी जिम्मेदारी होगी कि उनके ध्यान में आने वाले बाल लैंगिक दुर्व्यवहार/हिंसा के प्रकरणों में विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करे।
2. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की नियमित बैठक आयोजित कर बाल सुरक्षा के संबंध में आवश्यक विचार–विमर्श किया जाये तथा इस संबंध में आवश्यक कदम उठाये जाये।
3. ग्राम पंचायत द्वारा गावों में बच्चों के विरूद्ध विभिन्न तरह की हिंसा की रोकथाम हेतु नारे लेखन कराया जाये।

जिला प्रशासन-

1. समस्त राजकीय/गैर राजकीय बस, ऑटो रिक्शा एवं कैब संचालकों को बाल लैंगिक दुर्व्यवहार के बारे में अवगत कराये तथा उन्हें निर्देशित करे कि बाल लैंगिक दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायतों की सूचना तत्काल पुलिस को दे। इसमें विफल रहने पर संबंधित अथवा अन्य कोई जानकारी रखने वाले व्यक्ति के विरूद्ध पोक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया जाये।
2. समस्त राजकीय/गैर राजकीय बस, ऑटो रिक्शा एवं कैब में चाइल्ड लाइन 1098 एवं पुलिस का कन्ट्रोल रूम नम्बर (100) अंकित कराया जाये।
3. समस्त निजी कोचिंग सेन्टर/हॉस्टल/पी.जी. संचालकों निर्देशित किया जाये, कि वे उनके संस्थान में अध्ययनरत/आवासरत 18 वर्ष से कम उम्र के बालक–बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगें तथा निजी कोचिंग सेन्टरों में बच्चों के साथ उनकी सुरक्षा एवं अधिकारों के संबंध में चर्चा की जाये।
4. समस्त निजी कोचिंग सेन्टर में माह में कम से कम 1 बार चाइल्डलाइन इण्डिया फाउण्डेशन द्वारा निर्मित फिल्म ''कोमल'' तथा उचित अथवा अनुचित स्पर्श पर उपलब्ध अन्य फिल्म प्रदर्शित की जाने संबंधी आवश्यक निर्देश जारी किये जाये।
5. निजी क्रेच संचालकों को भी निर्देशित किया जाये, कि वे उनके संस्थान में कार्यरत कार्मिको को

बाल लैंगिक दुर्व्यवहार पर जागरूक करें तथा सभी क्रेच संचालक क्रेच से जुड़े हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगें।

6. समस्त एफएम रेडियों, आकाशवाणी एवं मीडिया के साथ बैठक की जाकर उनके सामाजिक दायित्वों के तहत् समय–समय पर बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया जाये।
7. किसी राजकीय कार्मिक द्वारा बाल लैंगिक दुर्व्यवहार करने के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त संबंधित कार्मिक को तत्काल निलम्बित कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
8. जिले में कार्यरत अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं/एनजीओं को पोक्सों अधिनियम के तहत् उपरोक्त विभागों/एजेंसियों की निर्धारित भूमिकाओं में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया जाये।
9. जिला प्रशासन द्वारा जिले में संचालित सिनेमाघरों को अनुरोध किया जाये, कि वे समय–समय पर फिल्म के दौरान बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम के बारे में विज्ञापन प्रदर्शित करे।
10. बाल यौन हिंसा की रोकथाम हेतु बेहतरीन कार्य करने वाले अधिकारियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं एवं ऐसे बच्चों को सम्मानित किया जाये, जिनके द्वारा बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु विशेष कार्य किया गया हैं।

श्रम विभाग–

1. जिले में संचालित समस्त मजदूर यूनियन के प्रभारियों के साथ बैठक आयोजित कर उनको पोक्सो अधिनियम एवं बाल लैंगिक दुर्व्यवहार पर प्रशिक्षित किया जाये।
2. समस्त यूनियन उनके जुड़े हुए सदस्यों तथा चौखटियों/ईट भट्टों पर मौजूद मजदूरों को समय–समय पर बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम के बारे में जागरूक किया जाये।
3. चौखटियों/ईट भट्टों/फेक्ट्रियों एवं अन्य कार्य स्थलों का जायजा कर सुनिश्चित किया जाये, कि वहां कार्य करने वाले परिवार के बच्चों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार तो, नहीं हो रहा हैं।

स्वयंसेवी संस्था/एनजीओं (चाइल्ड लाईन सहित)–

1. द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं/एनजीओं द्वारा अपने कार्मिकों को पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया जाये तथा उन्हें बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु जागरूकता फैलाने के निर्देश दिये जाये।
2. जिले में कार्यरत अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं/एनजीओं द्वारा विभागों/एजेंसियों की निर्धारित भूमिकाओं के निवर्हन में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाये।
3. स्वयंसेवी संस्थाओं/एनजीओं द्वारा संस्था की बाल संरक्षण नीति की घोषणा की जाये तथा संस्था से जुड़े सभी कार्मिकों को नीति की पालना की जाये।
4. स्वयंसेवी संस्थाओं/एनजीओं द्वारा संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों एवं स्लम/कच्ची बस्तियों में

संचालित विद्यालयों/शिक्षा केन्द्रों अथवा अन्य गतिविधियों से जुड़े बच्चों एवं व्यक्तियों को बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम एवं बच्चों की सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाये।

5. स्वयंसेवी संस्थाओं/एनजीओं द्वारा स्लम/कच्ची बस्तियों में प्रचार–प्रसार के विभिन्न माध्यमों के जरिये स्थानीय लोगों को बाल लैंगिक दुर्व्यवहार की रोकथाम एवं बच्चों की सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाये।
6. स्वयंसेवी संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी कि उनके ध्यान में आने वाले प्रत्येक बाल यौन हिंसा के प्रकरण की सूचना पुलिस को दे।
7. लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बाल यौन हिंसा की रोकथाम के संबंध में सघन जन–जागरूकता पैदा करने हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार सामग्री का निर्माण किया जाये।

नोट्स

Premier # 0141-2295097

Child Resource Centre,
Harish Chandra Mathur,
Rajasthan State Institute of Public Administration,
Government of Rajasthan, Jawahar Lal Nehru Marg,
Jaipur (Raj) 302017
Website: www.hcmripa.gov.in
Mail: hcmripa@rajasthan.gov.in
Fax: 0141-2705420,2702932
Phone: 0141-2706556,2706268

Publication : March, 2018